Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone:0141-2716814, 2716832 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांकः— एफ 13(33)/राप्रनिमं/आई.टी./320-326 दिनांकः— 23/07/202

बोली सूचना

पुराने/अनुपयोगी/अप्रचलित/नकारा इलेक्ट्रोनिक सामान/उपकरण (ई—वेस्ट) की जहॉ है जैसा है आधार पर बोली हेतु

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (राप्रनिम), जयपुर परिसर में ई—वेस्ट के निवर्तन (जहॉ है जैसे है) के आधार पर पुराने/अनुपयोगी/अप्रचलित/नकारा इलेक्ट्रोनिक सामान/उपकरण (ई—वेस्ट) क बोली आयोजित की जायेगी जिसकी न्यूनतम विक्रय राशि रूपये 2,86,291.00 (GST रहित) है। ई—वेस्ट सामग्री की बोली में भाग लेने वाली फर्म केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (CPCB)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (SPCB)/ प्रदूषण नियंत्रण समिति (PCC) से ई—वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के तहत अधिकृत डिस्मेन्टलर (Dismantler)/रिसाईक्लर (Recycler)/रजिस्टर्ड PRO/EPR अधिकृत प्रोड्यूसर होना अनिवार्य है। बोली में भाग लेने हेतु बोलीकर्ता अपनी बोली संलग्न ''प्रस्ताव प्रारूप'' में भरकर सील बंद लिफाफे में दिनांक 16.08.2021 को अपरान्ह 4:00 बजे तक जमा करा सकते है जो उसी दिन अपरान्ह 4:30 बजे उपस्थित बोलीदाता/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।

बोली लगाने वाले (बिडर्स) को बोली प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रूपये 5,726.00 का बैंकर चेक/डी.डी. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (राप्रनिम), जयपुर के नाम संलग्न करना आवश्यक होगा। बिना अमानत राशि के बोली प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये जायेगें।

बोली योग्य सामग्री की सूची (संलग्नक—1) एवं शर्ते (संलग्नक—2) संलग्न है। अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को किसी भी समय बिना कारण बताये बोली स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सदस्य सचिव

क्रमांकः— एफ 13(33)/राप्रनिमं/आई.टी./ दिनांकः—

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. ग्रुप प्रभारी (आईटी), रा.प्र.नि.मं., जयपुर को लेख है कि उक्त सूचना को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. सूचना पट्ट, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

सदस्य सचिव

Rajasthan State Pollution Control Board
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone:0141-2716814, 2716832 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

संलग्नक:—1

Items and Quantity

Sr. No	Details of Equipment	Make/Quality	Numbers
1.	Television Colour	Onida, BPL	2
2.	Laptop	HP	16
3.	Scanner	HP, Canon	7
4.	Computer	Hp, Compaq, Dell	51
5.	Printer (Laser, Colour etc.)	HP	52
6.	Dot Metric Printer	WEP	2
7.	Crimping Tool Kit	-	1
8.	Lane Tester	-	1
9.	Punchdown Tool	-	1
10.	Webcam	HP	7
11.	UPS 5KVA, 1 KVA	SMF, IND 600	15
12.	Modem	D-Link	1
13.	Lan	CISCO	Nodes 42
14.	Dial up Connection	-	9
15.	Server Computer	Compaq, Wipro	4
16.	External DVD Writer	-	1
17.	Pen Drive 1GB, 2 GB, 4GB	Sandisk, Kingston	67
18.	Photostate Machine	Modi Xerox, Majix, Sharp, Geston, HP, Kyocera, Canon	39
19.	Amli Deck with Speeker	-	2
20.	Mobile set	MTS, Nokia, Samsung	123
21.	DVD Player	-	1
22.	Camera	Canon, Codec, Pentax	4
23.	Fax Machine	Modi Xerox, Toshiba	5
24.	Projector	-	1
25.	Hub	-	1
26.	Switch	-	2
27.	Head Phone	Intex	35
28.	Router	D-Link	1
29.	Flopy Driver	-	1
30.	Data Storage Driver	-	2
31.	Switch Setting Box	-	1
32.	Speaker	Philips, Ahuja	7
33.	Telephone	Betal, Orpat	7

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone:0141-2716814, 2716832 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

संलग्नकः–2

बोली शर्ते

1. बोली योग्य कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर सामग्री / उपकरण (जहां है जैसी है उसी स्थिति में) एवं निष्पादन की सर्वे रिपोर्ट का बोली से पूर्व अवलोकन किये जाने के बाद ही बिडर्स को बोली प्रक्रिया में भाग लेना चाहिये। यदि बोली लगाने के बाद बिडर्स कोई शिकायत करता है, तो वह मान्य नही होगी।
2. बोली में भाग लेने हेतु केवल उन्हीं फर्मो को योग्य माना जावेगा जिसके पास ई–वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकार पत्र होगा। जिसकी प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
3. बोली स्वीकृति की सूचना फर्म को दिये जाने के पश्चात् सामाग्री की तीन दिवस में सुपुर्दगी नही लिये जाने की स्थिति में बोली की जमा कराई गई अमानत राशि जब्त करली जायेगी।
4. बोली में दिया गया प्रस्ताव GST रहित होगा। GST एवं समस्त अन्य कर जमा कराने का दायित्व बोलीदाता का होगा।
5. यदि उक्त सामग्री की बोली में सही राशि नही लगती है। तो बोली को निरस्त कर दिया जावेगा।
6. बोली स्वीकृति के पश्चात् बोलीदाता को तीन दिवस में स्वीकृत बोली राशि जमा करवाकर सामान की सुपुर्दगी लेनी होगी।
7. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (राप्रनिम), जयपुर को किसी भी समय बोली प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नही दिया जावेगा।

सदस्य सचिव

Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone:0141-2716814, 2716832 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

"बोली प्रस्ताव प्रारूप"

पुराने/अनुपयोगी/अप्रचलित/नकारा इलेक्ट्रोनिक सामान/उपकरण (ई–वेस्ट) की जहाँ है जैसा है आधार पर बोली हेतु

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (राप्रनिम), जयपुर के बोली कमांक .... दिनांक.............. द्वारा आयोजित निष्पादन योग्य इलेक्ट्रोनिक सामान/उपकरण (ई–वेस्ट) की बोली में हमारीः–

फर्म का नाम ....

....

पता ....

....

ई–वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकार पत्र (Authorization) व संचालन सम्मति का विवरणः–

1. प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि ....
2. प्राधिकार पत्र जारी करने वाली संस्था का नाम (CPCB/SPCB/PCC)....................
3. प्राधिकार पत्र की वैद्यता..
4. संचालन सम्मति (CTO) की वैद्यता..

द्वारा निम्नानुसार बोली प्रस्ताव दिया जाता हैः–

प्रस्ताव राशि	
रूपये :–	
अक्षरेः–	

1. उक्त वर्णित प्रस्ताव के साथ अमानत राशि रूपये 5,726.00 का बैंकर चेक/डी.डी. संलग्न है।
2. उक्त वर्णित सामग्री को हमारे द्वारा अच्छी तरह से अवलोकन कर लिया गया है। उक्त सामग्री जहां है जैसी है स्थिति में स्वीकार करते हुए ही उक्त बोली प्रस्ताव दिया गया है।
3. उक्त बोली प्रस्ताव GST रहित है आवश्यक देय टैक्स /GST आदि हमारी फर्म द्वारा ही जमा करवाया जावेगा।
4. ई–वेस्ट वैद्य प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (राप्रनिम), जयपुर से एकत्रित ई–वेस्ट को ई–वेस्ट (प्रबन्धन) नियम, 2016 केन्द्रिय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (CPCB) द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार Environment Friendly Manner में ही भण्डारण/पुनः निस्तारण किया जावेगा।
5. मेरी फर्म के विरूद्ध केन्द्रिय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (CPCB)/राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (SPCB)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (PCC) द्वारा प्राधिकार पत्र रद्द करने के संबंध में कोई विधिक कार्यवाही नही चल रही है।

हस्ताक्षर फर्म मय सील